अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2020(GCMS 2020/00047) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/986642) बनाम [illegible] सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

> लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, व कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 436 दिनांकित 3.12.219 बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में वांछित सूचना :
>
> आवेदक/अधिकारी का किसी प्रकार का लोकहित नहीं है अपितु केवल विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता रहता है जिससे [illegible] उत्पन्न होती है।
>
> 1. केवल लोक [illegible] सकती है, इस सम्बन्ध में [illegible] अधिनियम सम्बन्धी [illegible] की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. ऐसा दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रार्थी ने विभाग को परेशान किया है।
3. प्रार्थी द्वारा विभाग के राजकार्य में बाधा, सूचना मांगने से हुई है, उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिप, जिससे राजकार्य में बाधा हुई है।

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1074 दिनांक 28.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री राधेश्याम गोयल द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गई है।

लोक सूचना अकिारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर व कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 436 दिनांकित 03.12.2019 बिन्दु संख्या 3 के संबंध में वांछित सूचना –

7. आवेदनक/अपीलार्थी का किसी प्रकार का लोकहित नहीं है। अपितु विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता रहता है जिससे विभाग के राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती हैं

1. केवल राजहित से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है इस संबंध में सूचना के अधिनियम संबंधी नियम की धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. ऐसा दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रार्थी ने विभाग को परेशान किया है।
3. प्रार्थी द्वारा विभाग के राजकार्य में बाधा, सूचना मांगने से हुई है, उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिससे राज कार्य में बाधा हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना के संबंध में

उक्त सूचना के संबंध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। यदि प्रार्थी चाहे तो इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर क्रमांक 117 दिनांक 16.01.2020 द्वारा सूचना भिजवाई गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है और अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर को अपने पत्रांक 117 दिनांक 16.01.2020 से प्रेषित किया है और नोडल अधिकारी,सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर या जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं? पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested